न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/15 दायरा दिनांक : 30.01.2024

उनवान

हरी भजन आत्मज परथा, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0 जरिये मुख्तार आम वरूण कुमार मीणा आत्मज श्री देव कुमार मीणा, निवासी शिवचन्द स्कूल के पास, श्रीराम कोलोनी, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– रोडू लाल पुत्र देवीलाल, जाति मेघवाल, निवासी रामठी, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0
2– कन्या बाई पत्नी लालचन्द, जाति मेहर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0
3– रामगोपाल आत्मज परथा, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0
4– केसरबाई उर्फ केरा बाई पुत्री परथा, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0
5– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भवानीमण्डी, जिला झालावाड़, राज0
6– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़, राज0
7– सुशीला बाई पत्नी बाबूलाल, पुत्री परथा, जाति मीणा (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
   1– सुनील मीणा पुत्र सुशीला बाई
   2– सीमा मीणा पुत्री सुशीला बाई
   अकवाम जाति मीणा, निवासी टकर मोहल्ला, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़, राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 77/प्रार्थना पत्र/2021 आदेश दिनांक 08.01.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 7 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड में खाता सं. 232 में खसरा नं. 24 रकबा 1.2013 हेक्टर, खसरा नं. 25/1 रकबा 1.1381 हेक्टर, खसरा नं. 30 रकबा 0.6955 हेक्टर, खसरा नं. 31 रकबा 0.5696 हेक्टर, खसरा नं. 32 रकबा 0.5184 हेक्टर, खसरा नं. 33 रकबा 0.9484 हेक्टर, तथा खाता सं. 23 में खसरा नं. 21 रकबा 0.1265 हेक्टर व खसरा नं. 22 रकबा 0.1391 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी

(ममता कुमारी तिवारी) 23/7/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2024 से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.01.2024 को विवादित आराजी के मामले में जारी यथास्थिति के आदेश को कानूनी प्रावधानों के विपरीत आगामी पेशी तक प्रभाव उन्मुक्त (खारिज) करने का आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.12.2023 से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी का जवाब बन्द करने का आदेश पारित किया था एवं अप्रार्थी कम 1 के द्वारा लिखित बहस पेश की गई थी जिसकी नकल अपीलांट वकील को दिलायी गयी थी उसी दिन बहस का अंतिम अवसर प्रदान कर दिनांक 08.01.2024 को आदेशिका में यह अंकित कर दिया कि वकील प्रार्थी बहस करने के इच्छुक नहीं है और जारी अंतरिम आदेश दिनांक 27.09.2021 खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। विवादित आराजी को कृषि से अकृषि कार्य करने के लिये रेस्पोडेंट नं. 1 ने नगर पालिका, भवानीमण्डी में आवेदन कर रखा है जिसके तहत ही विज्ञप्ति जारी होने पर जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया, परिस्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया था क्योंकि रेस्पोडेंट नं. 1 के खाते में स्थित आराजी पूर्व में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खाते की आराजी थी जिससे अवैध रूप से रेस्पोडेंट के नाम खाते दर्ज किया गया था और इसलिए प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट के तथ्यों को नजर अन्दाज कर तकनीकी आधार पर जारी अंतरिम आदेश आगामी तारीख पेशी तक प्रभाव उन्मुक्त करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी प्रावधानों सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों व धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है, केवल तकनीकी आधार पर जारी स्थगन आदेश प्रभाव उन्मुक्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.01.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी. पी. सी. पेश किये गये दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोडू लाल ने कर्न्वजन की अपील लगा रखी थी। वादग्रस्त आराजी परथा मीणा के खाते की थी। मोतीलाल खटीक के नाम गलत दर्ज हो गई है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी रोडूलाल के खाते दर्ज है। अनुसूचित जनजाति की आराजी अनुसूचित जाति के नाम दर्ज होना गलत है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 268, 2013 (2) आर.आर.डी. पेज 203 की नजीरें उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 409, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1210, आर.आर.डी. 1988 पेज 641 की नजीरें उद्धरत की।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 को अप्रार्थीगण की तलबी किये बिना एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थी के पक्ष में दिया। प्रस्तुत अपील दिनांक 08.01.2024 के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश को प्रभावोन्मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा लगभग 2 वर्ष 3 माह तक दी गई। आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली दिनांक 15.11.2022 तक अप्रार्थी क्रम 2 से 5 की तलबी हेतु तलवाने पेश करने में नियत चलती रही जो प्रार्थी का लापरवाहीपूर्ण रवैया प्रदर्शित करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी 2 वर्ष 3 माह तक अनवरत एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी रखना अत्यधिक त्रुटिपूर्ण था जिसे दिनांक 08.01.2024 के आदेश द्वारा प्रभावोन्मुक्त किया गया।

हम यहां रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उद्धरण जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगैरह का उल्लेख करना चाहेगें जिसमें Trial Court हेतु एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि यदि एकपक्षीय आदेश अत्यधिक आवश्यक हो तो ही दिया जाये एवं तलवी रजिस्टर्ड पोस्ट से की जावे तथा Trial Court गुणावगुण पर 30 दिवस में अंतिम निर्णय पारित करें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 2 वर्ष 3 माह तक एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा अनवरत प्रभावशील रही तथा रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील नहीं करवायी गयी। यहॉ तक कि सामान्य सम्मन तलवाने भी कई बार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रार्थी अपीलांट द्वारा नही दिये गये।

अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 08.01.2024 का निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक माह में गुणावगुण के आधार पर आवश्यक रूप से किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा